न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 46/2019

उनवान

1. रजिया बेगम पत्नी बून्दू बेग
2. मुदादी बेगम पत्नी अकबर बेग जाति मुसलमान निवासी ग्राम जिलावडा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. रहीमबेग पुत्र लूम्बा बेग
3. लुकमानबेग
4. महमूदबेग
5. मुरादबेग
6. जफरबेग
7. सलीमबेग पि0 रहमानबेग
8. भंवरबेग
9. हुसैनबेग
10. हाफजबेग पि0 आमदबेग
11. अब्दुलबेग पुत्र हाफजबेग जाति मुसलमान निवासी ग्राम जिलावडा, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1. जरियें राज0 पैरोकार
2 से 11 जरियें अधिवक्ता श्री मौ0 इकबाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राज0 अधि0 1956

–: आदेश :–   दिनांक :– 19.8.20

अधिवक्ता प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा अहिरान के खसरा नम्बर 65/1898 रकबा 1.01 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण कदीम से काबिज काश्त है। मौके पर प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को विकसित किया है। उक्त आराजी के पास अप्रार्थीगण की भूमि है जिस कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की आराजी पर दखल कारित करने से भूमि की सुरक्षा आवश्यक है। अतः आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी तहसीलदार नसीराबाद की उपस्थिति में कराये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 11 ने जवाब पेश नही किया। रा... कि प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:30:49 IST
Reason: SelfAttested

अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण की आराजी के समीप ही अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है।प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण उसकी खातेदारी आराजी पर दखलदांजी करते है जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की दखलदांजी नही की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। राज0 पैरोकार ने भी प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नही किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी निर्विवाद रूप से आस–पास ही स्थित है। आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी करने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभव नही पडेगा साथ ही पत्थरगढी करने से वाद बहुलता कम होगी। अप्रार्थीगण अपना पक्ष दौराने पत्थरगढी कार्यवाही भी प्रस्तुत कर सकते है।

अतः रामपुरा अहिरान के खसरा नम्बर 65/1898 रकबा 1.01 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर तहसीलदार नसीराबाद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की विधिवत उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:30:49 IST
Reason: SelfAttested